



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122021-231723
CG-DL-E-09122021-231723

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4701]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/अग्रहायण 17, 1943

No. 4701]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/AGRAHAYANA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5075(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4163(E) दिनांक 08.10.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के मोरबी जिले में NH-151A के कि.मी. 0.0 से कि.मी.242.9 (द्वारका-खंभालीया-देवरीया और धोल-आमरण-मालीया) सेक्शन तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14.10.2021 " को "दिव्यभास्कर" और "द टाइम्स ऑफ इन्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के मोरबी जिले में NH-151A के कि.मी. 0.0 से कि.मी.242.9 (द्वारका-खंभालीया-देवरीया और ध्रोल-आमरण-मालीया) सेक्शन के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: मोरबी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मोरबी				
	गांव का नाम: मोड़पर				
1	138	निजी	कृषि	0.016	मेघजीभाइ मोहनभाइ (138/पी1)
2	138	निजी	कृषि	0.089	जागृतिबेन प्रफुलभाइ आद्रोजा जेमिनभाइ प्रफुलभाइ पटेल रुद्रभाइ प्रफुलभाइ पटेल (138/पी2)
3	138	निजी	कृषि	0.0253	हसमुखभाई मोहनभाई (138/पी3)
4	138	निजी	कृषि	0.0264	महेशभाई गंगारामभाई (138/पी4)
5	139	निजी	कृषि	0.0444	बहादुरअलि वेलसीभाइ खोजा (139)
6	141	निजी	कृषि	0.0062	मेहताभाइ कनुभाइ नारणभाइ (141)
7	89	निजी	कृषि	0.1197	घनश्यामभाइ केशवजीभाइ पटेल (89/पी1)
8	89	निजी	कृषि	0.1183	घनश्यामभाइ केशवजीभाइ आद्रोजा (89/पी3)
9	90	निजी	कृषि	0.0982	कांतीलाल अवचरभाइ दावा (90/पी1/पी2)
10	90	निजी	कृषि	0.0692	लक्ष्मीकांत लालजीभाइ कंटेसीया (90/पी1/पी1)
11	91	निजी	कृषि	0.2506	दक्षेशकुमार मणीभाइ पटेल प्रिति मयुरभाइ मेहता दिशा मयुरभाइ मेहता रुसभ मयुरभाइ मेहता (91)

गांव का नाम: पिपलिया					
12	130	निजी	गैरकृषि	0.046	प्रमोदचंद्र जेठालाल सेता वि. (130/पी)
13	131	निजी	कृषि	0.07	ज्योत्सनाबेन अशोकभाइ पटेल (131/पी1)
14	131	निजी	कृषि	0.1944	ज्योत्सनाबेन अशोकभाइ पटेल (131/पी3)
15	132	निजी	कृषि	0.31	बाबुलाल वस्ताभाइ (132/पी1)
16	133	निजी	कृषि	0.1072	हसमुखभाइ मोहनभाइ पटेल (133/पी5)
17	134	निजी	कृषि	0.1357	अलारखा नुरमामद (134/पी1)
18	143	निजी	कृषि	0.1454	धनजीभाइ नागजीभाइ झालरीया (143/पी2)
19	172	निजी	कृषि	0.0167	रमेशभाइ धरमसीभाइ झालरीया (172/पी1)
			कुल	1.8887	

[फा. सं. NHAI/11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2021

S.O. 5075(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.No. 4163(E) dated 08.10.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH151A on the stretch of land from Km. 0 to Km. 242.9 (Dwarka-Khambhaliya-Devaliya & Dhrol-Amran-Maliya) road section in the district of MORBI in the State of GUJARAT;

And whereas the substance of the said notification has been published in “DivyaBhaskar” and “The Times of India” both dated 14.10.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-151A in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 242.90 (Dwarka-Khambhaliya-Devaliya & Dhrol-Amran-Maliya) Road Section in the district of MORBI in the State of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: MORBI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Morvi				
	Village: Modpar				
1	138	Private	Agriculture	0.016	Meghajibhai Mohanbhai 138/P1
2	138	Private	Agriculture	0.089	Jagrutiben Prafulbhai Aadroja Jeminbhai Prafulbhai Patel Rudrabhai Prafulbhai Patel 138/P2
3	138	Private	Agriculture	0.0253	Hasmukhbhai Mohanbhai 138/P3
4	138	Private	Agriculture	0.0264	Maheshbhai Gangarambhai 138/P4
5	139	Private	Agriculture	0.0444	BahadurAli Velshibhai Khoja 139
6	141	Private	Agriculture	0.0062	Mehtabhai Kanubhai Naranbhai 141
7	89	Private	Agriculture	0.1197	Ghanshyambhai Kesavjibhai Patel 89/P1
8	89	Private	Agriculture	0.1183	Ghanshyambhai Kesavjibhai Aadroja 89/P3
9	90	Private	Agriculture	0.0982	Kantilal Avcharbhai Dava 90/P1/P2
10	90	Private	Agriculture	0.0692	Laxmikant Laljibhai Kanteshiya 90/P1/P1
11	91	Private	Agriculture	0.2506	Daxeshkumar Manibhai Patel Priti Mayurbhai Maheta Disha Mayurbhai Maheta Rushabh Mayurbhai Maheta 91
	Village: Pipaliya				
12	130	Private	Non-Agriculture	0.046	Pramodchandra Jethalal seta Etc. 130/P
13	131	Private	Agriculture	0.07	Jyotsanaben Ashokbhai Patel 131/P1
14	131	Private	Agriculture	0.1944	Jyotsanaben Ashokbhai Patel

					131/P3
15	132	Private	Agriculture	0.31	Babulal Vastabhai 132/P1
16	133	Private	Agriculture	0.1072	Hasmukhbhai Mohanbhai Patel 133/P5
17	134	Private	Agriculture	0.1357	Alarakha Nurmamad 134/P1
18	143	Private	Agriculture	0.1454	Dhanjibhai Nagjibhai Zalariya 143/P2
19	172	Private	Agriculture	0.0167	Rameshbhai Dharamsibhai Zalariya 172/P1
			TOTAL	1.8887	

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka/3D]

RAJESH GUPTA, Director